UPBN010016702026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी० (पी.ए.) एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–526/2026

मोहम्मद अशरफ अली बनाम **राज्य** ।

मु०अ०सं०–51/2024

धारा–352, 504, 506 भा०दं०सं०

व 3(1) द, ध. एस०सी०/एस०टी० एक्ट,

थाना– बिनावर, जिला– बदायूँ।

दिनांकः 17–03–2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मोहम्मद अशरफ अली की ओर से विशेष सत्र परीक्षण सं०–1224/2024 संबंधित मु०अ०सं०–51/2024 धारा–352, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा– 3(1) द, ध. एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना–बिनावर, जिला–बदायूँ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे गांव की पार्टीबंदी व रंजिश के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से लिखायी जाने के कारण अभियोजन कथानंक संदिग्ध प्रतीत होता है। सहअभियुक्त की जमानत मंजूर हो चुकी है। घटना के दिन व समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में जातिसूचक शब्दों से गाली गलौच देना नहीं दर्शाया गया है। वादी व गवाहान के 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों में भी घटना के दिन व समय जातिसूचक शब्दों में गाली गलौज देना नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्त गांव का सीधा साधा व्यक्ति है उसकी ओर से भाग जाने व साक्ष्यों को मिटाने का कोई भय नहीं है। घटना की तहरीर स्वयं वादी द्वारा लिखी प्रतीत नहीं होती है जबकि वादी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है तहरीर पर उसके हस्ताक्षऱ अंकित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादिनी पर नोटिस की तामीला पर्याप्त फिर भी उसकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि मामला गम्भीर प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना एवं अवलोकन किया।

अभियोजन कथानंक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा धर्मपाल को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली–गलौज करने एवं विरोध करने पर वादी धर्मपाल को लाठी डंडो व लातघूसों से मारापीटा तथा

Digitally signed by RAJ VEER SINGH
Date: 2026.03.17 15:29:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जान से मारने की धमकी दी। विशेष अधिनियम के अपराध को छोड़कर शेष सभी अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं तथा 07 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त आज तक के लिए अन्तरिम जमानत पर था। अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई०** के मामले में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में तथा मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मोहम्मद अशरफ अली** का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपये के **दो** जमानती एवं समान धनराशि के व्यक्तिगत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है।

दिनांक–17–03–2026

(राजवीर सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.(पी.ए) एक्ट,
बदायूँ।